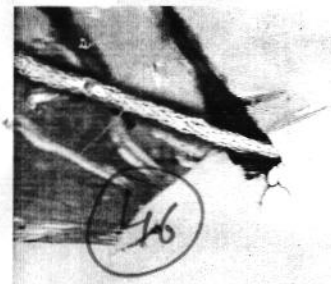

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

(1/16)

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र० R/3618/18 अपील निगरानी-6487/2018/हरदा/भू.रा.

तुलसीराम पुत्र श्री रामकिशन कहार
निवासी - कोलहदु तहसील - खिरकिया
जिला - हरदा (म. प्र.)

बनाम - - - आवेदक

गजराजसिंह पुत्र श्री देवकरन सिंह राजपूत
निवासी - ग्राम - सिंगाचढ़ तहसील - हरसूद
जिला - खण्डवा (म. प्र.) हाल - निवासी
ग्राम - कोलहदु तहसील - खिरकिया जिला - हरदा
- - अनावेदक

मुकेश पटेल, अभि० द्वारा आज दि. 17-12-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-12-18 4.01.19
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी को पुनस्थापित करने हेतु धारा 32 म. प्र. भू. राजस्व सं. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. 1909 के अन्तर्गत आवेदन पत्र
—x—

माननीय महोदय

1. यहकि निगरानी प्र. क्र० R-3618/18 नि. में प्रकरण पेशी दि० 19.06.2018 को आवेदक एवं उसके अभिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर किया गया, आवेदक के अभिवक्ता जिला न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होने से भोजनकाल पश्चात 2.35 P.M पर उपस्थित हुए तब ज्ञात हुआ कि प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर किया है।

2. यहकि आवेदक दि० 18.06.18 से 16.12.2018 तक हेपेटाइटिस रोग से पीड़ित होने से उक्त प्रकरण में दि० 19.06.2018 को उपस्थित नहीं होसका, मेरे अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से वह भी मेरे पक्ष नहीं रख सकें।

3. यहकि आवेदक के बीमार होने से व उसके अभिवक्ता की अनुपस्थिति का पर्याप्त व उचित तथा सद्भाविक कारण होने से निगरानी प्र. क्र. R-3618/18 नि. में पारित आदेश दि. 19.06.2018 को निरस्त कर उक्त निगरानी को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणदोषों पर निराकरण करने की कृपा करें।

दिनांक - 17.12.2018

[signature] आवेदक
द्वारा अभिभाषक - [signature] तुलसीराम पुत्र रामकि.

(3)

प्रकरण कमांक रेस्टो. 6487/2018/हरदा/भू0रा0

तुलसीराम विरूद्ध गजेंराजसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा रेस्टोरेशन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक की ओर से निगरानी प्रकरण 3618/2018/अपील/भू0रा0 में दिनांक 19–6–2018 को अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात यह रेस्टोरेशन आवेदन दिनांक 04–01–2019 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब से रेस्टारेशन आवेदन प्रस्तुत करने का कारण उनके द्वारा आवेदक के बीमार होना बताते हुये उसकी अनुपस्थिति को सद्भाविक मानते हुये अदम पैरवी में खारिज आदेश दिनांक 19–6–2018 को निरस्त कर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने का अनुरोध किया है। 3/ मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल सर्टिफिकेट का अवलोकन किया। आश्चर्यजनक रूप से मेडीकल सर्किफिकेट विशिष्ट रूप से उसी सम्पूर्ण अवधि का है जो कि मूल प्रकरण में अनुपस्थिति के दिनांक से लेकर वर्तमान रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत करने तक का है। दिनांक 19–6–2018 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया और पुनर्स्थापन का आवेदन दिनांक 17–12–2018 का है। आवेदक का अस्वस्थ होना भी दिनांक 18–6–2018 से 16–12–2018 तक दर्शाया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट की भाषा पर गौर करने से यह पाया जाता है कि संबंधित चिकित्सक द्वारा आवेदक तुलसीराम को प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक 16–12–2018 को परीक्षण कर पाया कि वे हेपेटाईटिस–बी से 6 माह से ग्रस्त हैं। साथ ही दिनांक 18–6–2018 से लेकर 16–12–2018 तक के 6 माह की अवधि में उनका स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक होना दर्शाया है। प्रश्न यह है कि प्रमाणपत्र दिनांक 16–12–2018 को जारी हुआ	

है तब चिकित्सक द्वारा यह कैसे अंकित कर दिया कि 6 माह पूर्व अर्थात दिनांक 18–6–2018 से वह अस्वस्थ्य था और स्वस्थ्य होने के लिए यह अवधि आवश्यक होगी। प्रमाण पत्र की भाषा व स्पेलिंग की कई त्रुटियां है। मसलन हेपेटाईटिस की स्पेलिंग ही गलत है। ऐसी अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाण पत्र किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना समुचित आधारों के जारी किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त मेडीकल सर्टिफिकेट के अतिरिक्त उपचार के दवाईयों के पर्चे सम्मिलित नहीं किये हैं जिससे बीमारी के इलाज की पुष्टि होती हो। चूंकि पुनर्स्थापन का आवेदन भी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है अतः अस्वीकार किया जाता है।

मेडिकल प्रमाण–पत्र की प्रति पृथक से हरदा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वे प्रमाण–पत्र की जांच कर देखें कि क्या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तथा किन परिस्थितियों में यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रतिलिपि कलेक्टर को भी Follow up हेतु भेजी जाये।

(जे0के0 जैन)
सदस्य